न्यायालय सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़।

सत्र परीक्षण संख्या–१९०/२०२२
राज्य बनाम रोशन लाल गुप्ता।

०४.०५.२०२२

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त रोशन लाल गुप्ता जिला कारागार से अभिरक्षा में उपस्थित।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने न्यायालय के समक्ष उस साक्ष्य का कथन किया जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाना है। वादी अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया कि प्रकरण में भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०८ के स्थान पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०७ का आरोप विरचित किया जाना चाहिए। इसके विरूद्ध अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर ही आरोप विरचित किये जाने चाहिए।

मैने पक्ष अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक १७.०८.२०२१ को सुबह ८.३० बजे जब वादी का चचेरा भाई विमल कुमार लिंटर लगा रहा था तभी राजाराम, अनिल, रोशनलाल अपने हाथ में लोहे की पाइप व डण्डा लेकर तथा संदीप कुमार व सुनील कुमार कट्टा लेकर व कुछ अन्य व्यक्ति आये तथा काम को बन्द करा दिया और जब विमल कुमार ने मना किया तो उक्त सभी लोग गालियां देते हुए मार डालने की नियत से ललकारा जिस पर रोशनलाल ने लोहे की पाइप से विमल कुमार के सिर पर मारा जिस कारण विमल कुमार मौके पर बेहोश हो गया। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४७, १४८, १४९, ३२३, ५०४, ५०६, ३०७, ३०८, ४२७ के अधीन दिनांक २२.०८.२०२१ को पंजीकृत की गयी। दौरान विवेचना घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयान के आधार पर अन्ततः घटनाक्रम में मात्र रोशन लाल की नामजदगी सही पायी गयी और तद्नुसार अन्य की नामजदगी सही न पाते हुये प्रकरण में भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२३, ५०४, ५०६, ३०७, ३०८ में विवेचना अग्रसारित की गयी। इस स्तर पर प्रकरण के चोटहिल साक्षी विमल कुमार गुप्ता का बयान अंकित किया गया तथा चिकित्सक का बयान भी लिपिबद्ध किया गया जिसने चोट को घातक किस्म का न होने का कथन किया और अन्ततः विवेचक ने यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए कि मौके पर अचानक मारपीट हुई थी, जानबूझ कर चोट पहुंचाने का उद्देश्य नही था तथा चोट घातक नही थी, प्रकरण में भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०७ व ३०८ का लोप करते हुए कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२३, ५०४, ५०६, ३२५ में अग्रसारित की। पर्यवेक्षक अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, द्वारा विवेचक के निष्कर्षों पर आपत्तियां प्रकट की गयी जिसके उपरान्त सिर में फ्रैक्चर होने के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०८ की बढ़ोत्तरी करते हुये आरोप पत्र अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४२७ ३२३, ५०४, ५०६, ३०८ में प्रस्तुत किया जाना कहा गया है।

पक्ष अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर मैं इस मत का हूं कि अभियुक्त रोशन लाल गुप्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२३, ५०४, ५०६, ३०८, ४२७ के अधीन आरोप विरचन के आधार पर्याप्त हैं।

तदैव अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित हो।

सत्र न्यायाधीश,
प्रतापगढ़।

Digitally signed by Sanjay Shanker Pandey
Date: 2022.05.04 15:33:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court